ANNEX-1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

का.आ. 353(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 78 (अ), तारीख 04.02.1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर सेक्शन का 93.000 कि.मी. से 479.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 इसके संशोधनों सहित के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अनुसार खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था:

खण्ड	सेक्शन	का.आ. संख्या	तारीख
रारा—2 का 199.660 कि.मी. से 250.533 कि.मी. तक	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा—माखनपुर	का. आ. 336 (अ)	07.02.2013
रारा—2 की 72.940 कि.मी. लम्बाई के लिए	उत्तर प्रदेश राज्य के माखनपुर से इटावा और इटावा बाइपास	का.आ. 2753 (अ)	21.11.2012

और यत, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स आगरा इटावा टोलवेज लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ दिनांक 19.01.2012 को एक करार किया था तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, यथा संशोधित, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 894 (अ) तारीख 31 मार्च, 2009 और का.आ. 2753 (अ) तारीख 21.11.2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है या करने से लोप करा दी गई है, केन्द्रीय सरकार ने डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—2 पर 199.660 कि.मी. से 323.525 कि.मी., तक आगरा—इटावा बाइपास सेक्शन के विकास के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 434 (अ) तारीख 22.02.2013 द्वारा रियायतग्राही को प्राधिकृत किया था:

और यतः, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित नहीं की गई थी और 6 लेन का बनाने का बीओटी रियायत करार प्राधिकरण द्वारा 20.05.2014 को समाप्त कर दिया गया था और अतः अधिसूचना संख्या का.आ. 434 (अ) तारीख 22.02.2013 को कार्यान्वित नहीं किया गया था;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मैसर्स एई टॉलवेज लिमिटेड जो 20.05.2015 को प्रस्तुत बोलियों के सफल बोलीदाता है और जिसका पंजीकृत कार्यालय आइ आर बी कॉम्पलेक्स चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई– 400072 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के 199.660 कि.मी. से 323.525 कि.मी. तक आगरा–इटावा बाइपास के छह लेन में विकास हेतु 01.09.2015 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा इसमें संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2753 (अ), तारीख 21.11.2012, का.आ. 336 (अ) तारीख 07.02.2013 और का.आ. 431 (अ), तारीख 22.02.2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे दी गई दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उक्त तारीख से अथवा शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के पर, इनमें से जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट सेक्शन की लम्बाई के लिए, शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है			
		निर्माण की अवधि के दौरान		छह लेन के निर्माण के बाद	
		सड़क की लम्बाई	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की लम्बाई	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	224.950 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 224.950 कि.मी.), फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास	50.414 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	31.176 (फरोजाबाद बाइपास की लम्बाई और 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	285.200 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 285.200 कि.मी.) फिरोजाबाद जिले में गुराऊ गांव के पास	71.275	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार	71.150 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

			दरों का 75%		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, राजमार्ग परियोजना के पूरा होने के बाद, निम्नलिखित बाइपास, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का 150% गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	बाइपास का नाम	निम्नलिखित पर प्रारम्भ करके	निम्नलिखित पर मिलते हुए	निर्माण की अवधि के दौरान	छह लेन के निर्माण के बाद
224.950 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 224.950 कि.मी.), फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास	फिरोजाबाद बाइपास	0.000 (विद्यमान कि.मी. 232.620)	20.250 (विद्यमान कि.मी. 252.250)	शून्य	20.250
			कुल	शून्य	20.250

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है					
		निर्माण की अवधि के दौरान			छह लेन के निर्माण के बाद		
		सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	224.950 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 224.950 कि.मी.), फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास	2.1761 (i)	21.761	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	1.1636 (ii)	11.636	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	285.200 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 285.200 कि.मी.) फिरोजाबाद जिले में गुराऊ गांव के पास	शून्य	शून्य	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	0.780 (iii)	7.800	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(i) (60 मीटर) से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	200.000 कि.मी. पर	बड़ा पुल	460.000
2.	200.635 कि.मी. पर	फ्लाईओवर	307.400
3.	221.798 कि.मी. पर	फ्लाईओवर	396.200
4.	239.441 कि.मी. पर	फ्लाईओवर	1012.500
	कुल		2176.100

(ii) (60 मीटर) से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	200.000 कि.मी. पर	बड़ा पुल	460.000
2.	200.635 कि.मी. पर	फलाईओवर	307.400
3.	221.798 कि.मी. पर	फलाईओवर	396.200
		कुल	1163.600

(iii) (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) संरचनाओ का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	259.333 कि.मी. पर	फलाईओवर	210.000
2.	261.019 कि.मी. पर	फलाईओवर	90.000
3.	261.718 कि.मी. पर	फलाईओवर	90.000
4.	303.360 कि.मी. पर	फलाईओवर	390.000
		कुल	780.000

4. कार्य पूरा होने की अनुचित तारीख (परियोजना की 6 लेन का बनाने की नियत तारीख से 910वां (दिन) और परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तारीख यदि इसमें देरी होती है, के बीच देरी की अवधि के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क उद्‌ग्रहीत नही किया जाएगा।

5. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/– रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें हर वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय के समय से एक मास

7. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले मे पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

8. जो यांत्रिक वाहन उक्त नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए उक्त नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

11. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 6(छह) महीने की समाप्ति तक ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/15–16/जीसी आगरा–इटावा बाइपास(बीओटी)]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

S.O. 353(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.78 (E), dated 04.02.1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India, Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 93.000 to kilometer 479.000 of Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur section of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 & its amendments, the Central Government by notification of Government of India authorized Authority for levying and collecting fees on mechanical vehicles for use of the stretches as follows:

Stretch	Section	S.O. No.	Dated
km 199.660 to km 250.533 of NH-2	Agra-Makhanpur in the State of Uttar Pradesh	S.O. 336 (E)	07.02.2013
for 72.940 km length of NH-2	Makhanpur to Etawah & Etawah Bypass in the State of Uttar Pradesh	S.O. 2753 (E)	21.11.2012

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority entered into an agreement with M/s Agra Etawah Tollways Ltd. (the Concessionaire) on 19.01.2012 and in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended and in supersession of the notification number S.O. No. 894(E) dated 31.03.2009 and S.O. No. 2753(E) dated 21.11.2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, vide notification no. S.O. 434(E) dated 22.02.2013, authorized the Concessionaire for development of Agra-Etawah Bypass section from km 199.660 to km 323.525 on National Highway No. 2 in the state of Uttar Pradesh on Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) basis;

And whereas, the Commercial Operation Date was not declared and 6-laning BOT Concession Agreement has been terminated on 20.05.2014 by the Authority and therefore, the notification no. S.O. 434(E) dated 22.02.2013 was not implemented;

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 01.09.2015 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s AE Tollway Private Limited having its registered office at IRB Complex, Chandivali Farm, Chandivali Village, Andheri (East), Mumbai-400 072 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bid submitted on 20.05.2015 for the development of Six laning of Agra – Etawah Bypass section from Km 199.660 to Km 323.525 on National Highway No. 2 (hereinafter referred to as the "said section") in the State of Uttar Pradesh on Design, Build, finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 29th December, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 2753 (E)

dated 21.11.2012, S.O. 336 (E) dated 07.02.2013 and S.O. 431 (E) dated 22.02.2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the length of the section specified for such Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza (Design Chainage)	Length (In km) for which Fee payable			
		During Construction Period		After Construction of Six-laning	
		Road length	Rate at which fee is payable	Road length	Rate at which fee is payable
1.	At Km. 224.950 (Existing Chainage Km 224.950), near Village Tundla in District Firozabad	50.414 (Excluding structures >60m length)	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	31.176 (Excluding length of Firozabad bypass & structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2.	At Km. 285.200 (Existing Chainage Km 285.200), near Village Gurau in District Firozabad	71.275	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	71.150 (Excluding structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In additional to above, after completion of project highway, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, at 150% times the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

2) 252.250 to 323.525 ⇒ 71.275
~~323.525~~
. 123.866

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at	During Construction Period	After Construction of Six-laning
At Km. 224.950 (Existing Chainage Km 224.950), near Village Tundla in District Firozabad	Firozabad Bypass	0.000 (existing km 232.620)	20.250 (existing km 252.250)	Nil	20.250
			Total	**Nil**	**20.250**

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable					
		During Construction Period			After Construction of Six-laning		
		Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At Km. 224.950 (Existing Chainage Km 224.950), near Village Tundla in District Firozabad	2.1761[(i)]	21.761	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	1.1636[(ii)]	11.636	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2.	At Km. 285.200 (Existing Chainage Km 285.200), near Village Gurau in District Firozabad	Nil	Nil	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	0.780[(iii)]	7.800	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

(i) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 200.000	Major Bridge	460.000
2.	At Km 200.635	Flyover	307.400

3.	At Km 221.798	Flyover	396.200
4.	At Km 239.441	Flyover	1012.500
		Total	**2176.100**

(ii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 200.000	Major Bridge	460.000
2.	At Km 200.635	Flyover	307.400
3.	At Km 221.798	Flyover	396.200
		Total	**1163.600**

(iii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 259.333	Flyover	210.000
2.	At Km 261.019	Flyover	90.000
3.	At Km 261.718	Flyover	90.000
4.	At Km 303.360	Flyover	390.000
		Total	**780.000**

4. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910th day from the Appointed Date of the 6-lanning project) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred & Thirty only) for the year 2015-16 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

8. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the said Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the said Rules.

9. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

10. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

11. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from COD.

[F. No. NHAI/13013/CO/15-16/GC Agra-Etawah Bypass (BOT)]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.